एस.पी.एम औटोकॉम्प में औद्योगिक दुर्घटनाएं और यूनियन बनाने का संघर्ष

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
दिल्ली
नवम्बर 2017

हरियाणा का आई.एम.टी.(इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) मानेसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में न केवल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जात है बल्कि मारुति प्लांट और मजदूरों के संघर्ष का क्षेत्र भी रहा है। यह सभी जानते है की मारुति मानेसर प्लांट की यूनियन के 13 सक्रिय मजदूरों को हाल ही में ट्रायल कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। इस यूनिट के मजदूर कठिन संघर्ष के बाद जनवरी 2012 में अपनी यूनियन को पंजीकृत कराने में सफल हो पाये। उपर बताया गया जजमेंट इस तथ्य का गवाह है की न केवल यूनियन बनाना मुश्किल है, बल्कि यूनियन के सक्रिय सदस्यों को प्रबंधक द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में केवल मारुति ही एक मात्र कंपनी नही हैं जिसमें यूनियन बनाने के लिए मजदूर संघर्षरत है और इसके लिए उन्हें दण्डित किया गया। एसपीएम ऑटो कॉम्प सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों ने भी मैनेजमेंट और पुलिस के द्वारा कुछ इसी प्राकर के दमन को झेला है। मारुति संघर्ष, एसपीएम संघर्ष और गुनाहगारों से प्रभावित व्यवस्था को नीचे दस्तावेज़ में दिया गया हैं।

अप्रैल 2017 में एक मजदूर की भयावह हालातों में मौत के बाद एसपीएम में यूनियन बनाने का संघर्ष और तेज़ हो गया। पी.यू.डी.आर द्वारा 18 एवं 24 अक्टूबर को की गई जाँच पड़ताल (फैक्ट फाइंडिंग) में फैक्ट्री के हालातों का मुआइना किया गया। पी.यू.डी.आर की जाँच टीम अलीयर पुलिस थाना (सेक्टर 3 मानेसर) गईं और वहां के प्रभारी से बात की, इसके अलावा एसपीएम के मजदूरों व केस से जुड़े वकीलों से भी बात की। टीम उसके बाद प्लांट भी गई ताकि एसपीएम मैनेजमेंट मिल सके लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से किसी के उपलब्ध न होने के कारण, मुलाकात नही हो सकी।

एसपीएम विभिन्न कंपनियों की यात्री गाड़ियों और व्यवसायिक वाहनों के लिए एग्जॉस्ट मेनीफोल्ड और स्टीयरिंग नक्कल का निर्माण करता है जिनमें से मारुति भी एक है। मानेसर में इस कंपनी का फाउंड्री (ढलाई–घर) और मशीन शॉप हैं। फाउंड्री में अकुशल मजदूर कार्य करते है वहीं मशीन शॉप में आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री धारक कार्य करते हैं। फाउंड्री में करीब 350 मजदूर काम करते है इनमें से केवल कुछ मजदूर ही कंपनी के स्थायी (परमानेंट) मजदूर हैं जबकि अधिकांश मजदूर ठेकेदार द्वारा ठेके पर रखे गये हैं। दूसरी ओर मशीन शॉप पर 180 परमानेंट मजदूर और कुछ ठेका मजदूर के रूप में काम करते हैं, इसके अलावा 10–15 मजदूरों को पैकिंग,लोडिंग–अनलोडिंग, सफाई और अन्य तरह के कार्य के लिए रखा गया हैं।

घटनाक्रम : मृत्यु या हत्या

ठेके पर काम करने वाला 24 साल का सफाई कर्मचारी शत्रुघ्न 6 अप्रैल की सुबह 5.30 बजे दुर्घटना वश फाउंड्री मशीन की बेल्ट की चपेट में आ गया। सुबह 7 बजे के करीब जब दूसरे मजदूरों यह पता चला तो मैनेजमेंट से यह मांग की गयी कि मशीन बेल्ट को काट कर शत्रुघ्न को बचाया जाये। मैनेजमेंट ने बेल्ट काटने की अनुमति नही दी तब मजदूरों को 'टूल

डाउन' करना पड़ा। तब तक शत्रुघ्न के परिवार के लोग भी पहुंच गये थे। 9 बजे के करीब मैनेजमेंट के पहुंचने पर टूल डाउन को हटा लिया गया। लेकिन मालिक के नही पहुँचने के कारण किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो पायी जिसके कारण मजदूर ने दोबारा से टूल डाउन शुरू किया, जो कि मालिक के आने तक लगभग 7 घंटे तक चला। साथ ही पुलिस की दो गाडियाँ भी भर कर आ गईं। 9.30 बजे के करीब आस–पास की फैक्टरीयों के करीब 20–30 यूनियन के नेता भी सहयोग के लिए पहुँचे। उसके बाद 33 लोगों के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज हुआ जिसमें सेकेट्ररी सहित यूनियन के सदस्यों को शामिल किया गया और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ़ अतिक्रमण और दहशत फैलाने का केस दर्ज किया गया।

शत्रुघ्न को मशीन के बेल्ट से निकालने के बाद, करीब एक से डेढ़ घंटे तक उसे फैक्ट्री गेट पर छोड़ दिया गया, बाद में उसे मैनेजमेंट द्वारा रॉकलैंड अस्पताल ले जाया गया। कपंनी, मैनेजमेंट और ठेकेदार द्वारा घटना को दबाने का प्रयास किया गया। शुरआत में अस्पताल में केवल मैनेजमेंट के ही लोग थे। परिवार वालों को बाद में जाने की अनुमति दी गई वह भी इस शर्त पर कि परिवार के अलावा किसी अन्य मजदूर को मिलने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को यह झूठी जानकारी भी दी गयी कि शत्रुघ्न होश में आ गया है। लेकिन मजदूरों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने परिवार वालों को अकेले भेजने से मना कर दिया। उसके बाद शत्रुघ्न की मृत्यु की खबर दी गईं। अखबारों में यह रिपोर्ट छपी कि कंपनी ने मुआवजे के तौर पर 11 लाख की राशि परिवार को दी है, साथ ही दो बच्चों के नाम से तीन–तीन लाख रु. का फिक्स डिपाजिट किया है। कुछ में यह रिपोर्ट भी छपी कि दोनों बच्चों के बालिग होने तक पांच, पांच हजार रु. प्रति माह दिया जाएगा। जांच के दौरान मुआवजे की पुष्टि नही हो सकी और परिवार अपने पैतृक गांव बिहार जा चुका है।

काम का बोझ और लगातार दुर्घटनाएं

मजदूरों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं हैं, इससे पहले 6 मौतें हो चुकी हैं। छोटी मोटी चोटें तो आम बात हो गयी है। हाल ही में 8 साल से काम कर रहे मजदूर की आंख में चोट लगी लेकिन उसे किसी भी तरह का मुआवजा नही दिया गया। उसने काम करना जारी रखा लेकिन प्रबंधन ने इस पर किसी भी तरह की बातचीत करने से मना कर दिया। मजदूरों ने यह बताया कि छोटी–मोटी चोट या उंगलियों का कट जाना तो महीने पंद्रह दिन में होता रहता हैं। जुलाई और अक्टूबर 2017 में भी दुर्घटनाए हुई थीं। पहले केस में एक मजदूर की ऊँगली कट गईं, वहीं दूसरे केस में एक मजदूर की बांह कन्वेयर बेल्ट में फंस गयी। इन सभी तरह के केसों में कंपनी केवल एक बार के इलाज़ का खर्च देती हैं लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देती। दुर्घटना होने के बाद जब मजदूर काम पर आने में सक्षम नही होता हैं तो उसे भी छुटी मान कर वेतन काट लिया जाता हैं। जब मजदूर वापस काम पर आता है तो भी उसे काम में किसी तरह की रियायत नही दी जाती हैं।

मजदूरों के अनुसार बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण काम के भार का बोझ हैं। हालात तो यहाँ तक है कि शिफ्ट के दौरान चाय के लिए भी ब्रेक नही है और न ही उन्हें फ्रेश होने के लिए दूसरे मजदूर दिये जाते हैं। अगर काम के समय मजदूरों को बाथरूम, टॉयलेट भी जाना है तो उसे अन्य मजदूर की सहायता लेनी पड़ती हैं इसके कारण एक मजदूर को एक समय पर एक साथ दो मशीनो का भार संभालना पड़ता है। मजदूरों की यह शिकायतें है कि इस तरह काम का अधिक बोझ मजदूरों को काफी थका देने वाला है। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि उत्पादन का लक्ष्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक मजदूर, जो कि वर्टीकल मशीन कंट्रोलर है, उसने बताया कि 5 सालों के अंदर एकेले एक शिफ्ट में उत्पादन का लक्ष्य रोजाना 60 पीस से बढ़ा कर 110 प्रति पीस कर दिया गया है यानि कि दोगुना। यह बढोतरी, मशीनों को बदल कर नही की गई बल्कि उन्हीं मशीनों की गति को बढ़ा कर उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाया गया हैं।

कार्य की परिस्थितियां

दुर्घटना के अतिरिक्त कार्य करने की परिस्थितियां भी यहां बेहद ख़राब हैं। मजदूरों का मानना है कि इस का मुख्य कारण मजूदर यूनियन का नही होना है। उनका मानना है कि मानेसर में केवल उन्हीं कंपनियों में काम की परिस्थितियां ठीक है जहां यूनियन है। जहां पर यूनियन है वहां काम करने पर 20–25 हज़ार रु. महीने का वेतन मिलता है। जबकि उसी तरह का काम के लिए एसपीएम में वेतन 8279 रु महीना मिलता है।

फाउंड्री और मशीन प्लांट में काम की परिस्थितियों में भी अंतर हैं। फाउंड्री में दो शिफ्ट में काम होता हैं पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक दूसरी शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, दोनों शिफ्ट में 12 घंटे काम होता है। मजदूरों को हफ्ते के सातों दिन काम करने के लिए बाध्य किया जाता हैं। हालांकि रविवार के काम के लिए उन्हें ओवरटाइम दिया जाता हैं, लेकिन ओवरटाइम की दर सिंगल(नॉन–ओवरटाइम) होती है जो कि मिनिमम वेज एक्ट, 1948 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के उस नियम का उल्लंघन है जिसमें ओवरटाइम को डबल देने का नियम हैं। राष्ट्रीय अवकाश के दिन जैसे कि 15 अगस्त को भी चालाकी के साथ रात की शिफ्ट में काम कराया जाता हैं। मजदूरों को वेतन भी समय से नहीं दिया जाता है, फाउंड्री मजदूरों का वेतन दूसरे मजदूरों के मुकाबले और देरी से वेतन दिया जाता है। कुछ समय पहले, एक मजदूर जो कि पिछले 10 साल से ठेके पर काम कर रहा था उसे हटा कर दुबारा काम पर रखा गया जिससे कि परमानेंट नही करना पड़े।

मशीन शॉप में करीब 350 मजदूर 3 शिफ्ट में काम करते हैं, तीनों शिफ्ट का समय सुबह 7 बजे, शाम 3 बजे, रात 11 बजे से शुरू होता है। प्रत्येक शिफ्ट में करीब 50–60 परमानेंट मजदूर और 5–10 ठेके के मजदूर काम करते हैं। इन्हें लंच के लिए आधे घंटे का ब्रेक और रविवार के दिन की छुट्टी मिलती है। कंपनी की जरुरत होने पर रविवार को भी ओवरटाइम करना पड़ता है (इस दिन भी सिंगल रेट मिलता है) किसी कारण वश फैक्ट्री के बुलाने पर

रविवार को नहीं जाने पर उन्हें कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री में नही आने दिया जाता है और उसे छुट्टी मान कर उनका वेतन काट लिया जाता है। हेल्पर का वेतन 8279 प्रति माह है। हेल्पर का यह वेतन नये और पुराने दोनों के लिए एक जैसा है। पुराने मजदूरों के वेतन में साल में कुछ बढोतरी की जाती हैं। मूल वेतन के अलावा हर महीने में 26 दिन की हाजरी होने पर 15 प्रतिशत हाजरी बोनस के रूप में दिया जाता है पर महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें से 12 प्रतिशत पी.एफ और 1.75 प्रतिशत ई एस आई का काट लिया जाता है। एक मशीन ओपेरटर जो पिछले पांच वर्ष से काम कर रहा है उसे 13,500 रू मिलते है जिसमें उसका ओवर टाइम भी शामिल है।

मजदूरों के अनुसार ओवरटाइम के घंटो के हिसाब में भी हेराफेरी की जाती हैं और 10–15 घंटो के ओवरटाइम का कोई पैसा नही दिया जाता है। अगर किसी मजदूर द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया जाता हैं उसे रोजाना के काम के रूप में ही माना जाता है, उसको ओवर टाइम में शामिल नही किया जाता हैं, न ही उसे इस अधिक उत्पादन के लिए पैसे मिलते हैं। मैनेजमेंट द्वारा सार्वजनिक जगह पर मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार तो आम बात है।

यूनियनीकरण और मजदूरों पर आक्रमण

कार्य की परिस्थिति और लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने मजदूरों को यूनियन बनाने के लिए प्रेरित किया। 2016 में मशीन शॉप के 10 मजदूरों ने यूनियन बनाने की आवश्यकता महसूस की और मजदूरों से बात करनी शुरू की। अप्रैल 2017 की घटना के बाद इन सभी 10 मजदूरों को 24 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच कंपनी से हटा दिया गया। इनको हटाने के लिए जो कारण बताए गए उसमें 'नेतागिरी' से लेकर एच.आर. मैनेजर पर हमला करने की बात तक कही गई। अप्रैल में हुई घटना पर सवाल उठाने के कारण मैनेजमेंट ने कई अन्य मजदूरों को भी नौकरी से हटा दिया। मजदूरों ने यह बताया कि कंपनी के प्रबन्ध निदेशक धर्मेंद्र बत्रा ने मीटिंग में यह कहा कि कंपनी के 60 किलोमीटर के दायरे में किसी से कोई मदद नहीं मिलेगी चाहे कोर्ट हो या पुलिस। 30 जुलाई को 7–8 मजदूरों को फिर काम से हटा दिया गया और 4 मजदूरों का ट्रान्सफर एनसीआर के बाहर एसपीएम के दूसरे प्लांट में कर दिया गया। हटाये गये मजदूर में एक मजदूर नेता धीरज भी थे, जिनको 4 अलग अलग दिनों में प्लांट के अंदर जाने नही दिया गया। इसके बाद 18 सितम्बर को मजदूरों ने यूनियन का पंजीकरण कराने के लिए चंडीगढ़ में आवेदन किया। 62 मजदूरों ने पंजीकरण आवेदन पर हस्ताक्षर किया और 180 परमानेंट मजदूरों ने इसका समर्थन किया। 23 सितम्बर को मजदूरों ने सामूहिक मांग पत्र सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी) गुड़गाँव के दफ्तर में दिया। इस मांग पत्र में मूल वेतन में बढ़ोतरी, ओवरटाइम दोगुना करने, मंहगाई भत्ता, ठेका प्रथा का खातमा, छुट्टी की व्यवस्था, चिकित्सा लाभ, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस मुहैय्या कराना, यात्रा भत्ता आदि शामिल थे। इसके अलावा इस मांग पत्र में यह कहा गया कि यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने

का काम चल रहा है इसलिए मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों को अनावश्यक परेशान करना और मजदूरों के निष्कासन, व डराने–धमकाने से मैनेजमेंट को रोका जाये।

यूनियन बनाने के आवेदन और मांग पत्र का जवाब मैनेजमेंट ने क्रुरता एवं दमन से दिया। इस प्रकिया ने दमन को बढ़ाया और यूनियन की गतिविधियों में शामिल लोगों और यूनियन की प्रक्रिया को कई तरह से प्रभावित किया। एक मीटिंग के दौरान 7 मजदूरों को खुले और सीधे तौर पर मालिक द्वारा धमकी दी गईं। सीताराम जैसे कुछ लोगों को सजा के तौर पर प्लांट के एक कमरे में बैठाये रखा और काम करने से रोका गया। 3 मजदूरों को जबरदस्ती उन कागजो पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया जिनमे लिखा था कि वे किसी भी तरह से यूनियन बनाने की प्रक्रिया से नही जुड़े हुए हैं। साथ ही कंपनी मालिक ने पड़ोसी गाँव कासन के पूर्व सरपंच के माध्यम से राजनीतिक दबाव बनाया और गुंडों, बाउंसरों को लगातार तीन दिन तक मजदूरों के कमरों पर भेजा। बाहुबल के अलावा पैसों का लालच देकर मजदूरों को खरीदने की कोशिश भी की गयी। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर एक यूनियन सदस्य को खरीदा भी गया।

10 अक्टूबर को यह दमन नये और निम्न स्तर पर पहुँच गया, जब मैनेजमेंट के गुंडो ने यूनियन के सदस्य और निकाले गये मजदूरों के साथ 'समझौते' के लिए मीटिंग बुलायी थी। मैनेजमेंट के गुंडों ने यूनियन के मुख्य सलाहकार धीरज का अपहरण कर लिया और उसे मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया। 10 अक्टूबर की सुबह से दोपहर के 3 बजे तक धीरज को पूरे मानेसर घुमाया गया और फ़ोन का प्रयोग नहीं करने दिया। मीटिंग में धीरज की अनुपस्थिति का फायदा उठा कर मजदूरों को धमकाया गया। मजदूर धीरज के हालातों से अन्जान थे तब भी उन्होंने बिना किसी कानूनी सलाह के कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तब मैनेजमेंट ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए मजदूरों पर शारीरिक रूप से हमला किया और गालियां देते हुए किराये की गाड़ी में डाल दिया। वहां से उन्हें गुड़गांव कोर्ट की वकीलों की कैन्टीन की तरफ ले जाया गया जहां उन्हें शाम आठ बजे तक बंदी बनाकर रखा गया और उन्हें तक तक जाने नही दिया गया जब तक की उन्होंने यूनियन बनाने वाली गतिविधियाँ से पीछे हटने के कागजो पर हस्ताक्षर नहीं किये। कुछ दिनों बाद फर्जी कॉल के माध्यम से दो यूनियन सलाहकारों धीरज और अखिलेश को यह झूठी सूचना दी गईं कि उनके खिलाफ़ थाने में एफ.आई.आर दर्ज की गयी है। जिन 9 मजदूरों से जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गये थे उन्हे 14 अक्टूबर को फैक्ट्री में जाने से रोक दिया गया।

संघर्ष जारी

इस तरह के सुनियोजित हमले और मजदूरों का निष्कासन, यूनियन के गठन की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश हैं। मैनेजमेंट इस प्रक्रिया को दबा नही पाया है। यूनियन पंजीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में लेबर दफ्तर ने उन मजदूरों के नाम की पहचान करना शुरू की जिन्होंने यूनियन बनाने के लिए आवेदन किया था। शुरूआती मीटिंग में प्रबंधन ने धीरज

की उपस्थिति पर एतराज़ जताया क्योंकि धीरज एक टर्मिनेटेड मजदूर है। जब धीरज ने कहा कि वह सलाहकार की हैसियत से काम कर रहा हैं तब प्रबंधन के पास कोई रास्ता नही रह गया। 23 अक्टूबर की मीटिंग में लेबर ऑफिस ने 9 मजदूरों को हटाये जाने का स्पष्टीकरण मांगा तब प्रबंधन ने कहा कि उन्हें हटाया नही गया है बल्कि उनका ट्रान्सफर पुणे कर दिया गया है। मजदूरों ने यूनियन को पंजीकरण करने के लिए भी आवेदन किया और प्रबंधन के खिलाफ़ कानूनी रूप से शिकायत भी दर्ज कराई जैसे कि उन्होनें बाउंसरों के खिलाफ मजदूरों के घर आकर धमकाना, धीरज के अपहरण, और प्रबंधन के द्वारा 10 अक्टूबर को जबरन हस्ताक्षर कराया जाना भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 मजदूरों को हटाये जाने के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की गयी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 33 के खिलाफ़ था। ऊपर से मैनेजमेंट ने ट्रान्सफर के लिए लेबर कमिश्नर दफ्तर से अनुमति नही ली थी जबकि श्रम विवाद चल रहा था।

मजदूरों के कानूनी अधिकार के बावजूद भी यूनियन पंजीकरण की प्रक्रिया फंस गई हैं। यही मैनेजमेंट की रणनीति थी। इसके अलावा मैनेजमेंट ने लेबर ऑफिस के हस्तक्षेप की पूरी तरह उपेक्षा की और दमन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से 'ट्रान्सफर' किये गये मजदूरों के साथ देखी जा सकती है। 2 नवम्बर को ह्रदेश द्वारा 'ट्रान्सफर' के आदेश नही मानने पर कासन गाँव के पूर्व सरपंच द्वारा पीटा गया। इस लगातार उत्पीड़न और धमकियों की शिकायत मजदूरों ने स्थानीय पुलिस थाने में की हैं, ऐसा बहुत बार हुआ हैं कि पुलिस ने इनकी शिकायतों को नज़रंदाज़ किया है। प्रबंधन और पुलिस दोनों के लिए ही मारुति का फैसला उदाहरण देने के लिए हैं, वे प्रतिरोध कर रहे मजदूरों को लगातार यह याद दिलाते हैं कि मारुति मजदूरों के साथ क्या हुआ। मानेसर का 'आदर्ष नगरी' (मॉडल टाउनशिप) मुनाफाखोरों के लिए औद्योगिक शांति को बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस अच्छी तरह काम कर रही है। पुलिस ने पी.यू.डी.आर की टीम को यह भी बताया कि उनके पास एसपीएम के खिलाफ़ कोई शिकायत से नहीं आई है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल 2017 में शत्रुघ्न के मौत को लेकर मैनेजमेंट पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है।

हाल ही के हफ्तों में एसपीएम मजदूरों के लिए बाधाएँ अधिक होती जा रही हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने उन्हें आईटीआई और पॉलिटेक्निक और बी.ई की डिग्री के आधार पर अलग करना शुरू किया है मजदूरों का मानना है कि यह उनकी एकता को तोड़ने और उनके अंदर विभाजन करने का प्रयास है। मैनेजमेंट को मजदूरों के टर्मिनेशन और धमकियों से कोई लाभ नही हुआ। लगातार दमन की प्रक्रिया के कारण यूनियन बनाने वालों के हस्ताक्षरों में कमी देखी गयी है। लेकिन मजदूर के नेताओं का अभी भी ये मानना है कि सभी काम करने वाले मजदूरों में अभी भी यूनियन को बनाने की इच्छा है। अभी एक नये तरह व्यवस्था को निर्मित करना जरूरी हैं और मजदूरों का मानना है कि यूनियन को निर्मित करना ही एक मात्र विकल्प रह गया है। मजदूरों को यह प्रेरणा बेल्ल्सोनिका, मुंजल किरिऊ और सोना स्टीयरिंग

की सफल यूनियन से मिल रही है। उनका यह मानना है कि बेहतर मज़दूरी, काम करने की बेहतर स्थिति और सम्मानजनक जिन्दगी के लिए यूनियन का होना बहुत जरूरी है।

निष्कर्ष

मानेसर के औधोगिक क्षेत्र में हजारों 2 टियर और 3 टियर के फैक्ट्रियों का समूह हैं जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के उपकरण को निर्मित करती हैं। इस तरह की शुरुआत गुडगाँव में 80 के दशक के दौरान मारुति कंपनी की स्थापना से हुई है। एसपीएम ऑटोकॉम्प सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड मारुति की वेंडर कंपनियों में से एक हैं जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इस उद्योग में ठेका मजदूरों की संख्या अधिक है जिससे मैनेजमेंट किसी भी तरह के श्रम विवादों से बच सके। कम मजदूरी और कार्य की अधिकता ने ही मजदूरों को एकजुट करने और यूनियन बनाने के लिए प्रेरित किया है। मुश्किल से कुछ मुठी भर फर्मों में ही पंजीकृत मजदूर यूनियन है।

ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया था। आजादी के बाद संविधान ने इसे मौलिक अधिकार का दर्ज़ा दिया है। इसलिए यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरों को सामूहिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और इस अधिकार का संरक्षण फैक्ट्री में भी किया जाए। इस रिपोर्ट में यह देखा गया हैं कि एसपीएम ऑटो कॉम्प सिस्टम में एक मजदूर यूनियन की आवश्यकता हैं जिससे वे फैक्ट्री में होने वाली अपनी परेशानियों को रख सके। साथ ही रिपोर्ट उस पक्ष को भी उजागर करती हैं जिसमें प्रबंधन की गैरकानूनी गतिविधियों और समझौतों में सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए जिससे कि बेहतर, सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। संविधान और कानून इसकी आवश्कता को दर्शाते हैं : जिसमे श्रम और पूंजी में मतभेद हो तो राज्य मूक दर्शक न बने। वह सक्रियता से मजदूर कानूनों की सहायता से अधिकारों को बचा सके।

जैसा की पहले बताया गया है कि कोर्ट ने 18 जुलाई 2012 की घटना में मारूति के मानेसर प्लांट के 13 मजदूरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। फैक्ट्री में आग लगाने से मैनेजमेंट के एक कर्मचारी की जान चली गईं, यह घटना तक हुई जब यूनियन के सदस्य एक मजदूर के गैरकानूनी निलंबन को रद्द कराने की कोशिश कर रहे थे और बाकि मजदूर समर्थन में खड़े थे। कोर्ट के इस निर्णय का मजदूर यूनियन, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और न्याय की समझ रखने वालों के द्वारा काफी आलोचना भी की गई। यह रिपोर्ट उस जगह के एक बहुत छोटे हिस्से को प्रदर्शित करता है जिसमें यह दर्शया गया है कि किस प्रकार से प्रजातांत्रिक संस्थाएं भी मजदूरों को उनके मौलिक अधिकार देने से रोकते है।

प्रकाशकः सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली (PUDR)
प्रतियों के लियेः डॉ. मौशुमी बासु, ए 6/1, अदिति अपार्टमेंटस, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली
ईमेलः pudrdelhi@gmail.com वेबसाइट : www.pudr.org
सहयोग राशि : 5 रुपये